न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.

1. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00002**
   लिखमाराम पुत्र लाधूराम जाट निः लाडेरा तहः लूनकरनसर हाल सामरदा, तहः खाजूवाला **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा–पुराना चक 14 केजेडी ए मु.न. 104/62,47,55 की कृषि भूमि।
2. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00003**
   पतराम पुत्र सरदाराराम जाट निः चींदासर हाल 19 डीडब्ल्युडी **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा–19 डीडब्ल्युडी मु.न. 11/56 व 12/34,35,42,43,50 की कृषि भूमि।
3. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00004**
   पदमसिंह पुत्र पूर्णसिंह राजपूत निः 10 केएचएम **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 10 केएचएम मु.न. 58/5,13 की कृषि भूमि।
4. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00006**
   रसूलबश पुत्र बली मोहम्मद निः पहलवान का बेरा **बनाम** राजस्थान सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 5 बीएलडी मु.न. 208/44,51,52,59,60 व चक 20 केजेडी मु0नं0 45/47 व 18 केजेडी मु0नं0 65/6 व 6 बीएलडी 209/35,42,43,44,50,51,52 व 16 केएम 105/49, 105/50 की बीघा कृषि भूमि।
5. **प्रार्थनापत्र संख्या–1998/00007**
   पूरा बेवा मोटाराम, रेवन्तराम, करताराराम पि. मोटाराम जाट निः चींदासर **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 19 डीडब्ल्युडी मु.न. 12/18,19,20,21,28,29 की कृषि भूमि।
6. **प्रार्थनापत्र संख्या–2006/00002**
   नूर मोहम्मद पुत्र अलाबक्श मुसलमान निः दन्तौर **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 14 केएचएम मु.न. 19/24,32 व 20/17,25 की कृषि भूमि।
7. **प्रार्थनापत्र संख्या–2006/00004**
   गुलु पुत्र पुरखा वगैरह चमार निः 7 केएचएम **बनाम** सरकार जरिये उपनिवेशन तहसीलदार पूगल, जिला बीकानेर।
   विवादित रकबा– चक 7 केएचएम ए मु.न. 97/62 व 117/5,6,7,13,14 की कृषि भूमि।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत सीलिंगएक्ट 1973
–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2022

न्यायालय हाजा में जैरकार प्रकरण संख्या 1998/00002, 1998/00003, 1998/00004, 1998/00006, 1998/00007, 2006/00002, 2006/00004 (क्रमशः सरकार बनाम लिखमाराम, सरकार बनाम पतराम, सरकार बनाम पदमसिंह, स्टेट बनाम रसूलबक्स, सरकार बनाम पुरादेवी, स्टेट बनाम नूर मोहम्मद, सरकार बनाम गुल्लु) एक ही प्रकृति के होने कारण उक्त सभी प्रकरणों में संयुक्त फैसला किया गया है।

अदालत का मानना है कि उक्त प्रकरण sustainable नहीं है क्योंकि यह मुकदमा जिन दस्तावेजों की बुनियाद पर institute किया गया है उनसे यह जाहिर नहीं होता की प्रार्थी prima facie किस आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे की प्रतिवादी द्वारा सीलिंग हद का उल्लंघन किया जा रहा है।

वादी द्वारा रिपोर्ट में सिर्फ यह लिखा गया है कि विवादित जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज है और प्रतिवादी द्वारा धारित जमीन सीलिंग एक्ट के प्रावधानों के विरुद्ध लेकिन इस निष्कर्ष का कोई आधार नहीं बताया गया है।

मेरे मुताबिक वाद पेश करने से पहले यह प्रारंभिक जांच करनी जरूरी थी कि

1. विवादित जमीन सीलिंग एक्ट 1973 की धारा 4 (1) की किस उप धारा के अंतर्गत शुमार होती है।

2. विवादित जमीन प्रतिवादी द्वारा कब acquire की गई (यह इसलिए अहम है क्योंकि family की व्याख्या भी उसी तारीख के संदर्भ में की जाएगी) ,किस तरीके से acquire की गई।

3. जिस वक्त प्रतिवादी द्वारा विवादित जमीन acquire की गई उस वक्त प्रतिवादी की family(सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 2 f के मुताबिक) में कौन कौन शामिल था.

4. जिस समय प्रतिवादी द्वारा जमीन acquire की गई उस समय जमीन कमांड थी या अनकमांड थी। अगर अन कमांड थी तो कमांड में तब्दील कब हुई । यह इसलिए अहम है क्योंकि कमांड और अन् कमांड के संबंध में सीलिंग हद अलग–अलग है।

यह भी गौरतलब है कि बिंदु संख्या 1,2 और 4 से संबंधित ब्यौरा तहसील कार्यालय में ही उपलब्ध होता है।

इस प्रारंभिक जांच के बाद ही वादी द्वारा सीलिंग सीमा के उल्लंघन के संबंध में कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इसलिए अदालत का मानना है कि इस मामले में कोई cause of action reveal नहीं हो रहा हैं इसलिए ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी और धारा 151 सीपीसी के तहत प्रदर्श शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस वाद को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)